तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 193/2025 (2025/456) अनवान जस्साराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.04.2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 62/28 वाके राजस्व ग्राम बिसावास तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम जस्साराम के स्थान पर बोलता नाम जसराज दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जस्साराम है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश जस्साराम के स्थान पर जसराज दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जिससे कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुषित हो गये है तथा प्रार्थी के नाम से वोटर आईडी कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि जो दस्तावेज बने हुए है उनमें भी प्रार्थी का नाम जस्साराम ही दर्ज है जिससे कि प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि के कृषि खराबे के मुआवजे व केसीसी लेने में हर बार दिक्कत आती है तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा संख्या 62/28 वाके राजस्व ग्राम बिसावास तहसील लूणी जिला जोधपुर में जो प्रार्थी का नाम जसराज पुत्र पूनाराम दर्ज है उसके स्थान पर जस्साराम पुत्र पूनाराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरील जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ. /2026/1238 दिनांक 06.04.2026 के जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम बिसावास के खसरा नम्बर 62/28 रकबा 9.7529 हैक्ट जसराज पुत्र पुनाराम जाति पटेल हि 1/2 व ख.न. 27 रकबा 0.0405 हैक्अ जसराज पुत्र पूनाराम 1/3 वर्तमान खतौनी संवत् 2075–2078 में दर्ज है। पुराने राजस्व रेकर्ड में एवं नये राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जसराज ही दर्ज है अर्थात राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी के निजी दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन कार्ड, बैक डायरी इत्यादि में प्रार्थी का नाम जस्साराम दर्ज है वह अपने निजी दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम जसराज के स्थान पर जस्साराम दर्ज करवाना चाहता है। हमने पत्रावली मय दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 62/28 वाके राजस्व ग्राम बिसावास तहसील लूणी जिला जोधपुर में प्रार्थी का जसराज पुत्र पूनाराम के स्थान पर जस्साराम पुत्र पूनाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	